न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

1. उमेद सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराहा, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
2. सुमेर सिंह पुत्र श्री हाथीसिंह राजपुरोहित, मैनेजर, मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराहा, सिरोही जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 33/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 व 54 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 25–2–2025 को मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराहा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर सुमेर सिंह पुत्र श्री हाथीसिंह राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) का नमूना संख्या S-2569, खाद्य विश्लेषक, स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर के विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./695/Act/2025/664 दिनांक 10–3–2025 में अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 54 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्डार की दुकान के पते पर तामिली हेतु प्रेषित किये गये, लेकिन प्रतिवादीगण बाहर होने से नोटिस उक्त दुकान में अन्य व्यक्ति को तामिल होने के कारण इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को उनके आधार कार्ड में अंकित निवास के पते पर पुनः नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से प्रेषित किये गये, लेकिन प्रतिवादीगण को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 25–02–2025 को समय 04–30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही पर गये, वहां पर मैनेजर की हैसियत से

......पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

प्रतिवादी सुमेर सिंह पुत्र श्री हाथीसिंह राजपुरोहित उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर काउन्टर में आमजन के बिक्री हेतु लगभग 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी मैनेजर सुमेर सिंह पुत्र हाथीसिंह राजपुरोहित को भरकर दी एवं मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही की दुकान के अन्दर काउन्टर में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) में से 02 (दो) किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) को प्रतिवादी सुमेर सिंह पुत्र श्री हाथीसिंह राजपुरोहित से उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली स्टील भिगोने में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 800/— (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिवादी मैनेजर सुमेर सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीद शुदा मिल्क केक (खोया निर्मित) को प्रतिवादी मैनेजर सुमेरसिंह एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बातलों में बराबर बराबर मात्रा में डाला एवं चारों नमूना बोतलों में 40—40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों नमूना बोतलों को अलग अलग ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार का लेबल पर नमूना लेने की दिनांक, नमूना लेने का स्थान,खाद्य पदार्थ का विवरण मिल्क केक (खोया निर्मित) एवं अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-2569 आदि अंकित कर लेबलों पर प्रतिवादी मैनेजर सुमेर सिंह पुत्र श्री हाथी सिंह राजपुरोहित व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना बोतलों पर पर नियमानुसार गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने चारों नमूना बोतलों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मिल्क केक (खोया निर्मित) की चारों नमूना बोतलों को विधिवत सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मिल्क केक (खोया निर्मित) की चारों नमूना बोतलों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी मैनेजर सुमेर सिंह पुत्र श्री हाथी सिंह राजपुरोहित व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बन्द किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27—02—2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री गुमान सिंह झाला, एल.टी., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 25—02—2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा

.....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर सुमेर सिंह पुत्र हाथी सिंह राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) (नमूना संख्या S-2569) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये मिल्क केक (खोया निर्मित) के नमूना संख्या S-2569 की खाद्य विश्लेषक, स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./695/Act/2025/664 दिनांक 10–03–2025 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) का नमूना अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही की खाद्य पदार्थ विक्रय की अनुज्ञप्ति प्रतिवदी उमेदसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित के नाम से जारी की हुई है, जो दिनांक 23–11–2025 तक वैध है, इससे यह स्पष्ट है कि मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही के प्रोपराईटर व खाद्य कारोबारकर्ता, प्रतिवादी उमेदसिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपुरोहित है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी उमेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपुरोहित की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स माखन भोग मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर सुमेरसिंह पुत्र हाथीसिंह राजपुरोहित द्वारा अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 व 54 के तहत अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) (नमूना संख्या S-2569) के विक्रय हेतु प्रतिवादी **उमेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित**, खाद्य कारोबारकर्ता एवं **प्रोपराईटर**, मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी **उमेद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जी** राजपुरोहित, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स माखन भोग जोधपुर मिष्ठान भण्ड़ार, अनादरा चौराया, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)